मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02.04.2013 की कार्यवाही

आज दिनांक 02.04.2013को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कुणाल शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानसुार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

उपस्थितिः–

1.	श्री कुणाल शर्मा, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2	श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष,
3	श्रीमती सौजन्या, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्उ शासन	सदस्य
4	श्रीमती गरिमा रॉकली, उपसचिव आवास	सदस्य
5	श्री अशोक कुमार, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
6	श्रीमती झरना कमठान ए0डी0एम0 वित्त एवं राजस्व देहरादून	सदस्य
7.	श्री एस0के0पन्त, वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8	अधीक्षण अभियंता,जलनिगम,देहरादून	सदस्य

आमंत्रित सदस्यः–

1	श्री सुशील गुप्ता, सभासद, नगर निगम, देहरादून	नामित सदस्य
2	श्री उदय सिंह पुण्डीर, सभासद, नगर निगम, देहरादून	नामित सदस्य

अन्य उपस्थितिः–

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
2. मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
3. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
4. नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन पूर्व में प्राप्त अनुपालन आख्या में आपत्तियों का उल्लेख 82 वी बैठक में किये जाने हेतु एवं संशोधनो पर अगली बैठक में विचार करने हेतु रखे जाने के निर्देश दिये गये । अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयीः–

विषय कमांक 1:– **वित्तीय वर्ष 2013–2014 का प्रस्तावित बजट।**

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में पी0पी0पी0 के आधार पर संचालित की जाने वाली योजनाओं एवं अन्य योजनाओं के तहत की जाने वाली कार्यवाही एवं प्राधिकरण के ई–आफिस के कम्पयूटराईजेशन को दृष्टिगत रखते हुए रिसर्च एवं कन्सलटैन्सी की मद में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्वि की गयी है। बोर्ड को अवगत कराया गया कि कन्सलटैन्सी का अधिकतर कार्य यूडेक द्वारा किया जा रहा है जो उत्तराखण्ड सरकार का एक संयुक्त उपकम है। प्राधिकरण में ई–आफिस के तहत की जाने वाली कार्यवाही एवं कम्पयूटराइजेशन का विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी0एस0आर0) प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राधिकरण को प्राप्त होने वालें लाभान्श के 5 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग सी0एस0आर0 योजनाओं हेतु किया जायेगा।

उक्त बिन्दुओ पर सहमति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 2 :– **मौजा– ढाकपटटी (राजपुर) में गैर जमीदारी विनाश क्षेत्र (नॉन जेड0 ए0) खसरा नम्बर 470/2 मिन0 रकबा 5.0830 है0 भूमि को आपसी सहमति से क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि चूंकि वर्तमान महायोजना में प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग शोधन संयत्र सीवेज एवं ठोस अपव्यय स्थल के रूप में प्रदर्शित है तथा पहुॅच मार्ग के सम्बन्ध में भी चर्चा की गयी एवं प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करनें का निर्णय लिया गया है।

विषय कमांक 3 :— भारत सरकार द्वारा निर्गत C.S.R (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) सम्बन्धी दिशा—निर्देशो को अंगीकृत करने के संबंध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन को अंगीकृत कर लिया जाये एवम प्राधिकरण के NET PROFIT का 5 प्रतिशत C.S.R. के मद में व्यय किया जाये।

विषय कमांक 4 :— इन्दिरापुरम आवासीय योजना फेज प्रथम में श्रीमती आलोक प्रभा शर्मा को आवंटित अतिरिक्त भूमि के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि अतिरिक्त अवशेष 66.34 वर्ग मी0 भूमि को वर्तमान सर्किल रेट की दरों पर भूमि आंवटन की कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 5 :— प्राधिकरण में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों को वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात तीन अतिरिक्त वेतन बृद्धियाँ दिये जाने के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रकरण पर विधिक राय प्राप्त करके प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाये।

विषय कमांक 6 :— श्री अशोक कुमार शर्मा (सेवा समाप्त) को पुनः सेवाओं में लेने हेतु पुनर्विचार के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रकरण पर विधिक परीक्षण कराया जाये।

विषय कमांक 7 :—ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि0 की प्रियदर्शिनी गैस सेवा का एल0पी0जी0 गोदाम को ओ0एन0जी0सी0 परिक्षेत्र के उत्तर में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि ओ0एन0जी0सी0 द्वारा प्रस्तावित गैस गोदाम को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 8 :— श्री केशोलाल गोयल द्वारा भूमि खसरा नम्बर 449क,ग,450,451 मौजा सुद्दौवाला देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त इस बिन्दु पर मत स्थिर हुआ कि प्रकरण को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि सड़क विस्तार सीमा में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नही किया जायेगा।

विषय कमांक 9 — मानचित्र संख्या सी—0039/11—12 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1006 एवं 107 मौजा पौंधा में हॉस्टल बिल्डिंग के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 10 :—मै0 दून होटल एवं रिसोर्टस प्रा0लि0 द्वारा श्री सुभाष चौधरी एवं श्री भीमसैन बाधवा भूमि खसरा नम्बर 182 क एवं 182/329 मौजा मालसी देहरादून पर होटल एवं रिसोर्टस निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 11 :— मानचित्र संख्या एस0—0086/2012—2013 स्थल 11ए0 कालीदास रोड पर श्रीमति वीना बब्बर,श्रीमति विभूति बब्बर ,श्री श्याम बब्बर एवं श्री एम0 सी0 बब्बर द्वारा हॉस्टल के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 12 :—प्रस्तावित मानचित्र पत्रावली संख्या सी—0175/12—13 श्री भारत भूषण गुप्ता, श्री श्री भूषण, श्रीमती उषा गुप्ता एंव श्री ए0 पी0 अग्रवाल द्वारा खसरा नम्बर 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 351 मौजा बगराल वाला परगना पछवादून देहरादून पर हास्टल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 13 :– मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0003/10–11 श्री सुखपाल सिंह द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1110, 1111,1112,1115 एवं 116 स्थित मौजा मोथरोवाला पर श्री सुखपाल सिंह द्वारा वैडिंग प्वाइंट निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 14 :– मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0060/12–13 श्री संजीव दुआ पुत्र श्री के0एल0दुआ एवं श्रीमती टीना दुआ पत्नी श्री संजीव दुआ द्वारा भूमि खसरा नम्बर 308,309,310 मौजा अधोईवाला में क्षेत्रफल 2700 वर्गमीटर पर व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

Kumar
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।